कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड पन्ना (म0प्र0)

संक्षित निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 33 /13–14 पन्ना, दिनांक 30–12–2013

संक्षित निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से पन्ना जिले के विभिन्न विकास खण्डों के विभिन्न ग्रामों में भू–जल संवर्धन कार्य हेतु मुहरबंद निविदायें प्रपत्र "अ" प्रतिशत दर पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत (ई – रजिस्ट्रेशन) उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल के दिनांक 15.06.2009 से जारी एवं दिनांक 11–9–2012 से पुनरीक्षित एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के दिनांक 20–3–2013 से प्रभावशील यू.एस.ओ.आर., निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक जारी समस्त संशोधन सहित, पर इस कार्यालय में 17–1–2014 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएं उक्त दिनांक को ही अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16–1–2014 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जा सकेगे ।

कार्य का विवरण :– पन्ना जिले के विभिन्न विकासखंडों के विभिन्न शासकीय शालाओं/ पंचायत भवनों में भू–जल संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत डिजाइन–ड्राइंग अनुसार 200 मि.मी. व्यास की रिचार्जिंग साफ्ट एवं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।

ग्रुप क0	कार्य का नाम एवं विकासखंड	मात्रा	ठेके की अनु0 लागत (रू.लाख में)	अमानत राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	डिजाइन–ड्राइंग अनुसार 200 मि.मी. व्यास की रिचार्जिंग साफ्ट एवं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, शेड्यूल अनुसार						
ए–1	विकासखंड अजयगढ़	2 नग	1.60	3200/–	1000/	45 दिवस	सी एवं उससे ऊपर
पी–1	विकासखंड पन्ना	3 नग	2.78	5560/–	2000/	60 दिवास	–तदैव–
जी–1	विकासखंड गुनौर	3 नग	5.17	10340/	2000/	60 दिवास	–तदैव–

निविदा की शर्ते :—

1. निविदा प्रपत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत होने का वैद्य पंजीकृत प्रस्तुंत करना आवश्यक होगा एवं वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ स्वयं प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किए जावेगे।
2. निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ इसी आकार एवं प्रकार के कार्यो के सफलता पूर्वक संपादित करने का प्रमाण — पत्र जो कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक समूह के लिये पृथक — पृथक निविदा प्रपत्र प्रदाय किया जावेगा। प्रत्येक समूह की निविदा हेतु धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) राष्ट्रीयकृत बैंक की पृथक — पृथक एफ0डी0आर0 के रूप में स्वीकार की जावेगी जो कि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड पन्ना के नाम देय हो। बिना अमानत राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी। अमानत राशि ब्याज धारित प्रतिभूति के रूप में ही मान्य की जावेगी। जो कि निविदा दर लिफाफा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी। पुरानी एफ0डी0आर0 का समायोजन नहीं किया जावेगा।
4. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाये जाने पर रूपये 200/— अतिरिक्त डाक व्यय भेजना होगा। विलम्ब से प्राप्त होने अथवा गुम होने पर विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
5. वैद्य आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र अथवा वर्ष 2012—13 का रिटर्न जो आयकर विभाग में जमा किया गया हो की प्राप्ति की रसीद की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही पैन नंबर, टिन नंबर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिक्री कर पंजीयन होना अनिवार्य है।
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में कार्य रह रहे ऐसी फर्म / ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र होगे जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य अधूरा छोड़ा गया हो तथा ऐसे ठेकेदार जिनके द्वारा विभाग से कार्य हेतु प्राप्त की गई सामग्री से आंशिक सामग्री का उपयोग कर शेष सामग्री न तो विभाग को वापिस की गई और न ही उसका मूल्य विभाग में जमा किया गया है। तत्संबंधी विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसी फर्म/ ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी राजसात मानी जावेगी।
7. यह कार्य विशिष्ट श्रेणी का है अतः निविदा प्रपत्र उन्हीं फर्म या ठेकेदार को दिये जावेंगे जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य का 50 प्रतिशत या अधिक क्षमता के निर्माण कार्य सफलता पूर्वक निर्धारित अवधि में पूर्ण किया गया हो एवं इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि कार्यपालन यंत्री के स्तर से कम न हो आवेदन पत्र के साथ सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा में वर्णित कार्य की लागत अनुमानित है। ठेकेदार को कार्यस्थल के वास्तविक किये गये कार्य अनुसार भुगतान देय होगा।
9. लागू एस.ओ.आर. की तुलना में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर (एल—1) दस प्रतिशत से अधिक नीचे होने पर निविदा दर को अव्यवहारिक दर माना जावेगा। एस.ओ.आर. से दस प्रतिशत कम की निविदा राशि के अंतर की अतिरिक्त परफारमेंस गॉरटी लिया जावेगा जो कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही वापस किया जावेगा।
10. सशर्त निविदायें अमान्य कर दी जावेगी तथा बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

11. ऐसे संविदाकार जिन्होंने पूर्व मे आवंटित दो या दो से अधिक कार्य प्रारंभ नही किये हैं उन्हें निविदा प्रपत्र प्रदाय नही किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र सहायक यंत्री से प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. दरों का उल्लेख स्पष्ट अंको एवं शब्दों में किया जाना आवश्यक है काटना एवं ओव्हर राईटिंग पाये जाने पर निविदा फार्म निरस्त माना जावेगा।
13. दूरभाष पर निविदायें मान्य नहीं होगी।
14. कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जावेगा।
15. कार्य से संबंधित अन्य जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
16. निविदायें निविदा खुलने की तिथि से 120 दिनों तक वैद्य रहेंगी।
17. यह सकर्म निविदा होगी अतः नियमानुसार श्रमिक कल्याण उपकर 1 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वेट कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी। भवन संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के तहत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर की कटौती देयक से की जावेगी।
18. कार्य के दौरान उत्खनन् से प्राप्त खनिज जैसे फाडी, गिट्टी एवं रेत आदि की रायल्टी की कटौती खनिंज विभाग द्वारा निर्धारित दरों एवं मापदण्डों के अनुसार की जावेगी। मध्यप्रदेश शासन खनिज संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक19—24/2004/12/1/1 दिनांक 18.12.2006 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार ठेकेदार के अंतिम देयकों का भुगतान कलेक्टर से रायल्टी बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत किया जावेगा।
19. किसी भी परिस्थिति में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
20. सामग्री का परिवहन विभागीय स्टोर से कार्यस्थल तक ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना होगा, इसके लिए विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
21. उक्त निविदा आमंत्रण सूचना वेबसाईट (www.mpphed.gov.in) पर प्रदर्शित है।
22. इस निविदा से संबंधित विस्तृत एवं शर्ते कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से एक दिन पूर्व तक इस कार्यालय में ठेकेदार द्वारा देखी जा सकती है।
23. कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूर्ण किया जाना है, अन्यथा एफ0डी0आर0 राजसात की जावेगी।
24. कार्यादेश की कार्यावधि की दी गयी समयसीमा में कार्य पूर्ण न होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त माना जावे एवं जमा अमानत राशि राजसात मानी जावे।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
पन्ना, म0प्र0

पृ0क्र0 / 4044 / व0ले0लि0 / का0यं0 / ले0स्वा0यां0 / खण्ड / 13 पन्ना, दिनांक : 30.12.13
प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर ।
4. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर ।
5. कलेक्टर जिला पन्ना ।
6. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी खण्ड छतरपुर / टीकमगढ / सागर / दमोह
7. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग पन्ना / छतरपुर / टीकमगढ / सागर / दमोह (म0प्र0)
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग पन्ना / छतरपुर / टीकमगढ / सागर / दमोह
9. कार्यपालन यंत्री, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पन्ना
10. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पन्ना
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पन्ना / पवई
12. एन0आई0सी0 पन्ना
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क पन्ना
14. अध्यक्ष, ठेकेदार संघ पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
15. नोटिस बोर्ड ।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)